भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3109

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

तमिलनाडु में अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति

†3109. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु में कितने शहर और कस्बे शामिल हैं और चल रही परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) अमृत के अंतर्गत तमिलनाडु में अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु के शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन सहित शहरी अवसंरचना और सेवाओं में क्या विशिष्ट सुधार हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अमृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली देरी या चुनौतियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था, जिनमें तमिलनाडु के 28 शहर/कस्बे भी शामिल हैं। अमृत के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अनुसार परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है।

अमृत के अंतर्गत, राज्य द्वारा 13,339.43 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से 445 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें 4,756.68 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता (सीए) शामिल है। परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता में से, 4,626.24 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं, जिसके लिए 4,279.29 करोड़ रु. के उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हो चुके हैं।

अमृत पोर्टल पर राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 7,810.68 करोड़ रु. की 433 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं और 5,528.75 करोड़ रु. की 12 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के चरण में हैं। कुल 12,775.58 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

(ग): अमृत मिशन के अंतर्गत और राज्य के साथ तालमेल करते हुए, 16.07 लाख जल नल कनेक्शन (नए/चालू नल कनेक्शनों की सर्विस) प्रदान किए गए; 25.20 लाख सीवर कनेक्शन (नए/चालू सीवर कनेक्शन की सर्विस) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से शामिल किए गए परिवारों सहित) प्रदान किए गए; 2856.77 किलोमीटर सीवर नेटवर्क और 6637.72 किलोमीटर जलापूर्ति नेटवर्क का निर्माण किया गया; और 337.66 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया। राज्य द्वारा शहरी परिवहन क्षेत्र में कोई परियोजना शुरू नहीं की गई।

(घ) : अमृत दिशा-निर्देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के अंतर्गत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। साथ ही, अमृत के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है।

*****